2024/222

फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय जिला कलक्टर, सिरोही

प्रार्थी / अपीलांट **बनाम** **अप्रार्थी / रेस्पोडेन्ट**

श्री देवकिशन पुत्र श्री पन्नालाल
जाति परमार निवासी कालन्द्री
तहसील सिरोही
जिला सिरोही।

सरकार जरिये लोक सूचना अधिकारी
अतिरिक्त जिला कलक्टर सिरोही

किस्म मुकदमा– **अपील अन्तर्गत धारा 19 आर.टी.आई. एक्ट 2005** मुकदमा नं. 38 वर्ष 2024

दिनांक हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख जो इस हुक्म की तामिल मे जारी हुए
28.08.2024	अपीलांट ने यह प्रथम अपील रेस्पोडेन्ट के विरूद्ध सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6 के तहत उनके द्वारा मांगी गई सूचना उपलब्ध नही कराने से धारा 19 के तहत प्रस्तुत की गई। अपीलांट की अपील दर्ज रजिस्टर की जावे। अपीलांट द्वारा अपनी अपील में निवेदन किया गया हैं कि उसके द्वारा लोक सूचना अधिकारी अतिरिक्त जिला कलक्टर सिरोही को दिनांक 04.07.2024 को एक प्रार्थना पत्र देकर निवेदन किया है कि दिनांक 01.07.2019 से 30.06.2024 तक विगत पांच वर्ष में सिरोही जिले में राज्य सरकार एवं केन्द्र सरकार द्वारा आयोजित समस्त प्रतियोगी परीक्षाओं की परीक्षा नामवार व आयोजित दिनांक की लिखित सूचना एवं उपरोक्त अवधि में सिरोही जिला मुख्यालय पर स्थापित केन्द्रों की नामवार सूची एवं सम्बन्धित परीक्षा केन्द्र पर जितने परीक्षार्थी परीक्षा में बैठने थे उनकी परीक्षा केन्द्रवार संख्या की लिखित सूचना से सम्बन्धित सूचना लोक सूचना अधिकारी से दिलाये जाने का निवेदन किया गया था। किन्तु निर्धारित समयावधि में उसे चाही गई सूचना उपलब्ध नही कराई गई हैं। मैने पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया गया कि अपीलांट द्वारा निर्धारित शुल्क रूपये 10/– जमा करा दिए है। अपीलांट द्वारा लोक सूचना अधिकारी अतिरिक्त जिला कलक्टर सिरोही को दिनांक 04.07.2024 को एक प्रार्थना पत्र देकर निवेदन किया है कि दिनांक 01.07.2019 से 30.06.2024 तक विगत पांच वर्ष में सिरोही जिले में राज्य सरकार एवं केन्द्र सरकार द्वारा आयोजित समस्त प्रतियोगी परीक्षाओं की परीक्षा नामवार व आयोजित दिनांक की लिखित सूचना एवं उपरोक्त अवधि में सिरोही जिला मुख्यालय पर स्थापित केन्द्रों की नामवार सूची एवं सम्बन्धित परीक्षा केन्द्र पर जितने परीक्षार्थी परीक्षा में बैठने थे उनकी परीक्षा केन्द्रवार संख्या की लिखित सूचना से सम्बन्धित सूचना उपलब्ध करवाई जावे। पत्रावली के अवलोकन से यह पाया जाता है कि अपीलांट द्वारा मांगी गई उपरोक्त सूचना के सम्बन्ध में लोक सूचना अधिकारी अतिरिक्त जिला कलक्टर सिरोही द्वारा जरिए पत्र क्रमांक/लो.सू.अ./रेकर्ड/2024/190 दिनाक 12.07.2024 द्वारा अपीलांट को सूचित कर दिया गया है। अतः उपरोक्त सूचना के सम्बन्ध में लोक सूचना अधिकारी अतिरिक्त जिला कलक्टर, सिरोही के स्तर पर अब किसी भी प्रकार की कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है। अतः ऐसी स्थिति में अपीलांट की अपील खारिज की जाती है। निर्णय सर–ए–इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। (शुभम चौधरी) **जिला कलक्टर, सिरोही**	

Scanned with CamScanner